कार्यालय वनमण्डलाधिकारी

दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

कार्यालय –दूरभाष (07856) 252228, फैक्स–252305 निवास –(07856) 252439 E-mail:-dfodnt@rediffmail.com

क्रमांक/ मा.चि./ 4018 **दन्तेवाड़ा, दिनांक** 25 /05 **/2024**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
एन.एम.डी.सी. सी.एम.डी.सी.लिमि.,
ग्रीन वेली, हॉऊसिंग बोर्ड कॉलोनी,
बोरिया कला, सेजबहार, रायपुर

विषय – Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2(i) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s NMDC-CMDC Limited for non-forestry use of 682.2722 ha. (570.100 ha. inside lease and 112.1722 ha. outside lease) forest land for Bailadila Iron Ore Deposit-4 Mine in Dantewada Forest Division, South Bastar, Dantewada District in the State of Chhattisgarh-reg.

संदर्भ :–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र दिनांक 07.03.2024
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–305/811 रायपुर दिनांक 18.03.2024.
3. आपका पत्र क्रमांक/HO/Dep-4/FC/2024/1462 Date 22.04.2024
4. कार्यालय पत्र क्रमांक/3320 दिनांक 16.05.2024
5. आपका पत्र क्रमांक/1469 दिनांक 20.05.2024

—0—

उपरोक्त विषयांन्तर्गत सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से प्रकरण में प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु प्रेषित व्यपवर्तन प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 07.03.2024 द्वारा 26 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओं की जानकारी में से निम्नानुसार बिन्दुओं पर स्पष्ट अभिमत की आवश्यकता है –

बिन्दु क्रमांक :–(ii)

उक्त बिन्दु मे आपके द्वारा एन.एम.डी.सी. बचेली एवं किरन्दुल में ICFRE Dehradun के द्वारा अध्ययन करना बतलाया गया है, जबकि ICFRE Dehradun के द्वारा निक्षेप क्रमांक–5, 10, 11एम.एल., 14एम.एल. एवं 14एन.एम.जेड़. में स्वीकृत लीज क्षेत्र के बाहर वन क्षेत्र को क्षति पहुंचाने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के शर्तो के उल्लंघन के एवज मे ICFRE Dehradun के द्वारा अध्ययन कराया गया है। भारत सरकार द्वारा उठाई गई आपत्ति अनुसार उक्त बिन्दु में Maximum Permissible Production Level के संबंध में अध्ययन की जानकारी चाही गई है जिससे पारिस्थितिकीय तंत्र सतत् रहते हुये उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन को भी कोई नुकसान न हो। संदर्भित पत्र–5 के माध्यम से आपके द्वारा दी गई जानकारी भ्रामक है। अतः सही जानकारी से अवगत करावें।

बिन्दु क्रमांक :—(viii)

उक्त बिन्दु मे प्रस्तावित खन्न क्षेत्र के दोनो ओर ट्री—फर्न प्रजाति विद्यमान है। जिस पर खन्न गतिविधियों के कारण भविष्य मे नकारात्मक प्रभाव होने की संभावना है, जिसका अध्ययन ICFRE Dehradun से कराने हेतु आपके द्वारा शुल्क जमा किया गया है, जिसे ICFRE Dehradun को प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु क्रमांकः— (xii)

उक्त बिन्दु में भारत सरकार, द्वारा जारी नवीन गाईड लाईन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023, 13 (1) के अनुसार दुगुने वन भूमि मे क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए मान्य नही किया जा रहा है। अतः क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि चयन कर, के.एम.एल. फाईल, वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं डी.जी.पी.एस. मानचित्र के साथ संशोधित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

वनमण्डलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 4019 **दन्तेवाड़ा, दिनांक** 25 /05/**2024**

प्रतिलिपि :—

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर छ.ग. नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त जगदलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा